Order Sheet [Contd] Case No 134/2017 बी.ए

	Case NO 134	1/2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-04-2017	आवेदक / अभियुक्त महेन्द्र सिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 339 / 16 धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506 भाठदंठि० इजाफा धारा 326 भा.द.वि की केश डायरी प्रितिवेदन सिहत प्रस्तुत एवं थाना गोहद से कोस अपराध कमांक 340 / 16 धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506 भाठदंठि० की केश डायरी भी प्राप्त। अवेदक की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जाठफोठ का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है, जबिक दिनांक 16.11.16 को आवेदक जब अपने सरसों के खेत में पानी दे रहा था उस समय फरियादी पक्ष के द्वारा एकराय होकर कुल्हाडी, लाठी, फर्सा से लेश होकर आवेदक को गाली गलीज की और मारपीट की जिस पर से उनके विरूद्ध थाना गोहद में कोस केश पंजीबद्ध किया गया है। उत्तत रिपोर्ट से बचने के लिए यह झूठी रिपोर्ट आवेदक के विरूद्ध की गई है। जबिक आवेदक सीधा सादा व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वह दिनांक 01.04.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक / अभियुक्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। प्रकरण में सहअभियुक्त गिर्राजिसिंह व रामवरनसिंह को इसी न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है एवं सहअभियुक्त शैलेन्द्रसिंह व जगदीश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. कमांक 1628 / 17 एवं 1627 / 17 आदेश दिनांक 06.03.17 को अग्रिम जमानत पर छोडा जा चुका है। वर्तमान आवेदक का अपराध जमानत पर मुक्त आरोपीगण के समान होने से समानता के अधार पर उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।	A.
	I .	1

वल दिया है कि सहआरोपीगण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया है तथा कुछ आरोपीगण को इस न्यायालय से प्रतिभूति पर मुक्त किया जा चुका है। अतः आवेदक / अभियुक्त को भी प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

जहाँ तक प्रकरण के सहआरोपी शैलेन्द्रसिंह एवं जगदीश सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के संबंध में है। उक्त दोनों आरोपीगण ने आहतगण के साथ डंडों एवं लात घूसों से मारीपट करने का आरोप है। साथ ही इस न्यायालय से जमानत पाए आरोपी रामवरन का संबंध है उस पर भी डंडा एवं लात घूसों से मारपीट का आरोप है, जबकि आवेदक / अभियुक्त पर कुल्हाडी से मारपीट का आरोप है। आहत रामवरन एवं धर्मवीर को परीक्षण में धारदार वस्तुओं की चोटें आना पाई गई है। प्रकरण में अभी अभियोगपत्र प्रस्तृत किया जाना शेष है।

अतः प्रकरण में आवेदक / आरोपी को लगाए गए अपराध के स्वरूप एवं उपलब्ध सामाग्री को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। उसकी ओर से प्रस्तृत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला– भिण्ड म०प्र0

प्रतिलिपि,

पुलिस थाना गोहद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

्तरन्द्र सिंह राजपू अपर सत्र न्यायाधीश ग जिला— भिण्ड म०प्र० अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

ALITHOUR STREETS STREE

WILHER A PAROLO BUILTING TO THE PAROLO BUILDING THE PAROLO